

1555

WPA 0

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

प्रमाणित की गई
जारी - 2021

विषय- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बेजवापुरा की
जमाबन्दी सम्बन्धी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 237
में बेजवापुरा नाम माधुवाल/काठ के स्थान पर माधुवाल/काठ
माधुवाल

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

माधुवाल

25/11/21

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

यजी,

निवेदन है कि ग्राम बेजवापुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बन्धी सम्वत् 2075 से 78 के
संख्या 237 में प्रार्थी का नाम माधुवाल/काठ दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
जाकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम माधुवाल/काठ है। जो संशोधित किया
उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

दिनांक 10/12/21

पटवारी 08/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
उक्त रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
रिपोर्ट पटवारी 08/12/21 एवं भू.अ.नि. 10/12/21 एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
बेजवापुरा की जमाबन्दी सम्बन्धी सम्वत् 2075 से 78 की खाता संख्या 237 में प्रार्थी का
माधुवाल/काठ के बजाय माधुवाल/काठ किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा (भोलगाड़ा)

उपम - 1476/21
13/12/21

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम बेजवापुरा जमाबन्दी सम्बन्धी सम्वत् 2075 से 78 खाता
संख्या 237 में दर्ज प्रार्थी का नाम माधुवाल/काठ के स्थान पर माधुवाल/काठ रीशोधन के
देश दिये जाते हैं।



प्रभारी उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भोलगाड़ा)